

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ ( )वाचक / Case No. 11/2022/ 135-37

दिनांक 2 मार्च, 2022

## आदेश

थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 45/2022 दिनांक 11.02.2022 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अरथाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 की धारा 3,5,6,8,9 दर्ज कर बताया कि दिनांक 11.02.2022 को पीकप नंबर एम पी 14 जी सी 0837 में 9 गौवंश (गाय के बछड़े) दुस दुस कर निर्दयता पूर्वक भर कर प्रतापगढ की तरफ ले जाया जा रहा था। जिन्हे जप्त कर प्रकरण में अनुसंधान जारी है। उक्त 9 गौवंश (गाय के बछड़े) की सुरक्षा एवं चराई के लिए प्रकरण के अन्तिम निरस्तारण तक बांसवाड़ा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बांसवाड़ा (पंजीयन क्रमांक 10/63-64) को सुपुर्द करने प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अरथाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत जप्तशुदा 9 गौवंश (गाय के बछड़े) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, बांसवाड़ा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बांसवाड़ा (पंजीयन क्रमांक 10/63-64) को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त जप्त शुदा 9 गौवंश (गाय के बछड़े) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बांसवाड़ा की होगी। जबशुदा गौवंश की वीडियोग्राफी भी सुपुर्दगी के समय करवायी जावे। सम्बन्धित न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय में पेश करने के लिए प्रबन्धक, जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बांसवाड़ा बाध्य होगा।



(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

## प्रतिलिपि :-

1. सयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, बांसवाड़ा
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर
3. प्रबन्धक, बांसवाड़ा जिला गौ सेवा संघ मदारेश्वर रोड बांसवाड़ा

(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)